फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

राज0 सरकार बनाम कान्ता वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र

मु0नं0– 80/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/8/23	प्रा0पत्र अ0धा0 131 एवं 132 एल0आर0 एक्ट 1956 तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश की गई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम गीजगढ पटवार हल्का गीजगढ की भूमि खसरा नम्बर 487 में से 880 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 488 में से 1200 वर्गमीटर, भूमि में मौके पर रास्ते के काम आ रही है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अतः उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इत्यादि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पक्षकारान कान्ता वगै0 की ओर से सहमति पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि में से यदि रास्ता दर्ज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि में से मौके पर रास्ता चालू है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिस दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।चूंकि उक्त रास्ता मौके पर चालू है जिसे नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु राज0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रावधान किए गए है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गीजगढ पटवार हल्का गीजगढ की भूमि खसरा नम्बर 487 में से 220 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा, कुल 880 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 488 में से 300 लम्बा एवं 4 चौड़ा कुल 1200 वर्गमीटर भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी का भाग रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा ट्रैस निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	